मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–14

ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष– 0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)– डिवार/कालीकृत–19/2023– 18 /पटना, दिनांक:– 13/04/2023

आदेश

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के पत्रांक–441 दिनांक–30.01.2023, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया के पत्रांक–225 दिनांक–01.02.2023 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–408 दिनांक–07.02.2023 द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–13/2021–22 के ग्रुप सं0–04 में बकरौल हथियार आहर पईन का जिर्णोद्धार कार्य एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमुर (मोहनियाँ) के पत्रांक–225 दिनांक–31.01.2023, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना के पत्रांक–264 दिनांक–02.02.2023 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–368 दिनांक–03.02.2023 द्वारा संवेदक मेसर्स एस0के0पी0 इन्टरप्राईजेज, प्रो0–शहबाज उमर खान, ग्राम–पुरखनचक, डुमरिया, पो0+थाना–गया, जिला–गया, पिन कोड–824206 निबंधन सं0–MWRD0721C1PR2104 श्रेणी–01 (प्रथम) को निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–14/2021–22 के ग्रुप सं0–24 में नाटी आहर का जीर्णोद्धार कार्य में डाले गये फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ निविदा में भाग लेने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए इन्हें कालीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया का पत्रांक–1237 दिनांक–06.06.2022 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज द्वारा दिनांक–07.06.2022 को संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र के फर्जी होने संबंधी प्रमाण दिया गया जिसके आलोक में संवेदक के विरूद्ध आरोप स्वतः स्पष्ट है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक–140 दिनांक–27.02.2023 एवं पत्रांक–147 दिनांक–28.02.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गई। उक्त कारण पृच्छा के क्रम में संवेदक का पत्रांक–105 दिनांक–03.03.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में गलत प्रमाण–पत्र देना स्वीकार किया गया है तथा यह उल्लेख किया गया है कि उनके दुश्मन द्वारा उनके कर्मी से मिलकर उन्हें फसाने हेतु गलत प्रमाण–पत्र संलग्न करवा दिया जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। संवेदक का उक्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया क्योंकि निविदा के साथ संलग्न कागजात एवं अभिलेख सही एवं सत्य होने की जिम्मेवारी संबंधित संवेदक की होती है उनके द्वारा अभिलेख के सही एवं सत्य होने संबंधी जानकारी होने का शपथ पत्र भी निविदा के साथ संलग्न किया जाता है इसलिए मात्र किसी कर्मी पर दोष मढ़ कर संवेदक अपने जिम्मेवारी से बच नहीं सकते है, क्योंकि उनके कर्मी पर भी उन्ही का प्रशासनिक नियंत्रण होता है।

अतः उक्त के आलोक में विषय की महत्ता के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया, कैमुर (मोहनियाँ)/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया, पटना एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में संवेदक मेसर्स एस0के0पी0 इन्टरप्राईजेज, ग्राम–पुरखानचक, पो0–डुमरिया, थाना–डुमरिया, जिला–गया, पिन कोड–824206 निबंधन सं0–MWRD0721C1PR2104 श्रेणी–01 (प्रथम) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली– 2007 के नियम –11 (क) (vii) में निहित शर्तो एवं प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

12/04/23 12/04/2023

E:\New folder-2023\191.docx

पत्रांकः– 309 /पटना, दिनांकः– 12/04/2023

प्रतिलिपि– मेसर्स एस0के0पी0 इन्टरप्राईजेज, ग्राम–पुरखानेचक, पो0–डुमरिया, थाना–डुमरिया, जिला–गया, पिन कोड–824206 निबंधन सं0–MWRD0721C1PR2104 श्रेणी–01 (प्रथम) को सूचनार्थ प्रेषित।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांकः– 309 /पटना, दिनांकः– 12/04/2023

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्य विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण भवन/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांकः– 309 /पटना, दिनांकः– 12/04/2023

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/04/2023

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

E:\New folder-2023\191.docx